# 'हूडा' में भ्रष्टाचार का धंधा : प्लॉटों के हो रहे अवैध सब-डिवीजन

## सेक्टर 20ए, 20बी इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में 10-10 साल से खाली प्लॉट पर ईंट भी नहीं लगी

## एफएमडीए का सलाहकार डॉक्टर धड़ल्ले से कर रहा अपने अस्पताल में अवैध निर्माण

**मजदूर मोर्चा ब्यूरो**

**फरीदाबाद:** शहर में मथुरा रोड के किनारे सेक्टर 20ए और 20बी को इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र इसलिए घोषित किया गया था कि यहां कॉरपोरेट दफ्तर, रिसर्च सेंटर, कॉरपोरेट टावर और स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे। इसका डेवलमेंट इस तरह से होगा कि यह शहर का सबसे चर्चित इलाका होगा। लेकिन हूडा फरीदाबाद में फैले भ्रष्टाचार की वजह से यहां तमाम प्लॉटों के लैंड यूज, मूल शर्तें, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वगैरह सारे गैरकानूनी काम अंजाम दिए गए। इसी तरह एक समाचारपत्र समूह को भी इस इलाके में एक प्लॉट मिला, लेकिन उसने न तो यहां अखबार का दफ्तर खोला न ही अपने ग्रुप का कोई अन्य दफ्तर खोला। उस पर हूडा की कई करोड़ की देनदारी है। हाल ही में नीलम पुल के साथ एसएसबी अस्पताल में हो रहे निर्माण को लेकर इस इलाके के डेवलपमेंट पर तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। नियम कानून तोड़ने वाला इस अस्पताल का मालिक डॉ श्याम सुंदर बंसल अब हरियाणा सरकार को सलाह दे रहा है कि फरीदाबाद का विकास कैसे किया जाए।

एसएसबी अस्पताल की छत पर हो रहा नियम तोड़कर अवैध निर्माण

**नियम बेहद सख्त लेकिन अफसरों की अंधेरगर्दी**

एमसीएफ के बाद हूडा को इस शहर की तकदीर संवारने का मौका मिला था। हूडा के भ्रष्ट अफसरों की तो तकदीर संवर गई लेकिन शहर बर्बाद हो गया। 2006 में सेक्टर 20 ए और 20 बी इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र की बुकिंग खुली थी। इसकी सबसे खास शर्त थी कि जिसे प्लॉट आवंटित किया जाएगा, वो शख्स न तो अपने प्लॉट को ट्रांसफर कर पाएगा, न बेच सकेगा, न गिफ्ट कर सकेगा, न ही गिरवी रख सकेगा और न डीड टाइटल में कोई छेड़-छाड़ हो सकेगी। प्लॉट मिलने और बिल्डिंग प्लान मंजूर होने के बाद दो साल के अंदर निर्माण करना पड़ेगा।

इस योजना की एक और भी सख्त शर्त थी कि प्लॉट या बिल्डिंग का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो सकेगा, जिस काम के बदले उसे अलॉट किया गया है। यानी अस्पताल के प्लॉट पर रेस्तरां नहीं खड़ा किया जा सकता। उस प्लॉट या बिल्डिंग में किसी तरह का भद्दा या गंदा लगने वाला कारोबार नहीं किया जा सकेगा। न ही इसके अंदर कोई दुकान खोली जा सकेगी और न ही किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि की जा सकेगी। प्लॉट को सब डिवीजन करने की छूट किसी भी हालत में नहीं होगी यानी एक प्लॉट के दो या तीन टुकड़े करके न तो बेचे जा सकेंगे और न ही कोई कारोबार किया जा सकेगा। सभी प्लॉटों पर हूडा एक्ट 1977 लागू रहेगा। हर बिल्डिंग या प्लॉट मालिक को बंद पार्किंग का इंतजाम करना पड़ेगा यानी प्लॉट के बेसमेंट में पार्किंग वगैरह बनाई जा सकेगी।

बाटा पुल से लेकर बडखल पुल तक कोई गंभीरता से पड़ताल करे तो इस इलाके में एस्कॉर्ट्स रिसर्च सेंटर को छोड़कर कोई ढंग का कॉरपोरेट दफ्तर नहीं है। जबकि एस्कॉर्ट्स रिसर्च सेंटर इस इलाके के इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र घोषित होने से बहुत पहले ही बन चुका था।

**एसएसबी अस्पताल**

सेक्टर 20 ए इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में जहां एसएसबी अस्पताल (प्लॉट नंबर 69) की बिल्डिंग खड़ी है, बहुत गौर से देखने पर छोटा सा सेन्ट्रल शब्द लिखा है। वो इस तरह से लिखा हुआ है कि आपकी नजर ही न पड़े। यह प्लॉट मूल रूप से सेन्ट्रल हॉस्टिपटल एंड रिसर्च सेंटर को आवंटित हुआ था। फिर क्यूआरजी सेन्ट्रल बन गया और अभी कुछ महीनों पहले यह एसएसबी में तब्दील हो गया। डॉ. एस.एस. बंसल इसका मालिक है। यह प्लॉट अभी भी मूल आवंटी के नाम है। लेकिन वो सिर्फ नाम है। हूडा अफसरों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एसएसबी अस्पताल के ऊपर जो एक नया फ्लोर बनाया जा रहा है, वो अवैध निर्माण है। उसके लिए तमाम नियम तोड़े गए हैं। सरकार का सीधा संरक्षण होने की वजह से हम वहां कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।

इतना ही नहीं इस बिल्डिंग की फायर विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई है। यानी अस्पताल में आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय से फायर ब्रिगेड अनजान है। फायर ब्रिगेड स्वतंत्र होने के अलावा नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के तहत भी आता है। एमसीएफ के अफसरों ने बताया कि एसएसबी ने अभी तक फायर एनओसी हासिल नहीं की है, जबकि इस बारे में सख्त नियम है कि कोई भी अस्पताल बिना फायर एनओसी के नहीं चल सकता। दिल्ली में कई अस्पताल बिल्डिंगें इस वजह से सील पड़ी हैं।

नियमानुसार अगर किसी अस्पताल में ऊपर के फ्लोर पर मरीजों का इलाज होता है या आपरेशन थियेटर वगैरह हैं तो उससे ऊपर की मंजिल पर एक और मंजिल उस हालत में नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि मरीजों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। हूडा के अफसरों का कहना है कि पहले उस फ्लोर पर सारे मरीजों को हटाकर और वहां सारी मेडिकल गतिविधियां बंद कर ही ऊपर की मंजिल बनाई जा सकती है। हालांकि हूडा का नियम यह कहता है कि किसी चलते हुए अस्पताल में किसी फ्लोर का निर्माण नहीं किया जा सकता।

एसएसबी का मालिक डॉ बंसल इससे पहले मेट्रो अस्पताल का मालिक था। लेकिन मेट्रो नोएडा की चेन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत केस किया और अंत में भाजपा-आरएसएस के दबाव में डॉ. बंसल को मेट्रो अस्पताल डॉ पुरुषोत्तम लाल को बेचना पड़ा। मेट्रो खोकर डॉ बंसल ने एसएसबी को क्यूआरजी से खरीद लिया। इस डील को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी देखरेख में कराया था। हाल ही में फरीदाबाद के तथाकथित डेवलेपमेंट के लिए जब एफएमडीए बनाया गया तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलरों, उद्योगपतियों और इस डॉक्टर को सलाहकार बनाया गया। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि जो शख्स खुद सरकारी नियमों को तोड़ रहा है, वो शहर के विकास के लिए क्या सलाह देगा।

**दैनिक भास्कर के नाम से भी प्लॉट**

इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र सेक्टर 20 ए में दैनिक भास्कर समूह को भी एक एकड़ का प्लॉट नंबर 41 (मेमो नंबर 27889) आवंटित हुआ है। भास्कर ग्रुप को यह प्लॉट 28 सितम्बर 2006 को आवंटित किया गया। लेकिन भास्कर समूह ने इस प्लॉट पर एक ईंट भी नहीं रखी। जबकि दो साल के अंदर उसे अपने दफ्तर का निर्माण करना था। इसका बिल्डिंग प्लान 31 अक्टूबर 2007 को ही मंजूर करा लिया गया। जबकि इस पर हूडा ने छह करोड़ का बकाया निकाला हुआ है। हालांकि प्लॉट अखबार के नाम पर ही लिया गया लेकिन इस ग्रुप की फरीदाबाद से कभी भी अखबार निकालने की कोई योजना नहीं थी। उसने नोएडा में जगह ले रखी है, जहां से अखबार छपता है। भास्कर समूह ने इसी तरह गुड़गांव में भी अखबार के नाम पर प्लॉट हासिल किया हुआ है।

**नैन सदन में सब डिवीजन की भरमार**

सेक्टर 20 ए में एक बिल्डिंग नैन सदन के नाम से भी है। इस बिल्डिंग में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का दफ्तर है, जहां इसकी सीईओ और एमसीएफ की कमिश्नर गरिमा मित्तल बैठती हैं। इंस्टीट्यूशनल एरिया के एकसाथ कई नियमों को तोड़ने के लिए यह बिल्डिंग कुख्यात है।

इस बिल्डिंग के प्लॉट में कई सब डिवीजन करके अलग-अलग दफ्तर खोल दिए गए हैं। हूडा के पास पड़ताल करने पर यहां सरकारी दफ्तर बताया जाता है जबकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा लाखों रुपये किराये पर ले रखा है। चूंकि यहां सरकारी दफ्तर खुला हुआ है और आए दिन विभिन्न विभागों के अधिकारी मीटिंग के लिए आते रहते हैं तो हूडा ने नैन सदन में तोड़े जा रहे नियमों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। नैन सदन को मिले प्लॉट का सब डिवीजन नियमों का खुला उल्लंघन है। लेकिन हूडा अब इस तरफ ध्यान देने से मना कर रहा है।

**इनके भी दफ्तर, ईंट तक लगी नहीं**

**इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र की छानबीन से पता चलता है कि यहां पर ओमेक्स आटो लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलमेंट काउंसिल, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, माइक्रो मैक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्रीचंद मेमोरियल एजुकेशन, सृष्टि मार्केटिंग, प्रयास इन्फोकॉम समेत कम से कम 50 ऐसी संस्थाएं हैं जो दस-दस साल से प्लॉट लेकर बैठी हैं। सेक्टरों में अगर कोई दो साल तक अपने प्लॉट पर निर्माण नहीं करता है तो हूडा उस प्लॉट को रिज्यूम करने की धमकी देता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बडखल के पास एक प्लॉट को सब डिवीजन करके एक कार का शोरूम खोला गया। हरियाणा के पूर्व सीएम बनारसी दास गुप्ता के बेटे अजय गुप्ता का भी एक प्लॉट इसी के पास है। अजय गुप्ता खुद प्रॉपर्टी डीलर है और इस प्लॉट में उसने कई हिस्से सब डिवीजन कर किराये पर दे रखे हैं।**

# मेनका गांधी को कुत्तों से नहीं आपातकाल से प्रेम है

**विवेक कुमार**

**बी**ते सप्ताह मेनका गांधी का एक वायरल ऑडियो सुनने को मिला, जिसमे वह एक वेटनरी चिकित्सक को गालियां देती सुनी जा सकती हैं। इसी तरह कई और भी फोन कॉल के ऑडियो दुनिया ने खोज निकाले जिसमे मेनका गांधी वेटनरी डॉक्टरों से गाली गलौच कर रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने तीन वेटनरी चिकित्सकों से मेनका गांधी की बातचीत का ऑडियो सुनाया। हर ऑडीयो में भाजपा सांसद मेनका गांधी हारामजादे और हारामी शब्द का चिकित्सकों के लिए इस्तेमाल करते पाई गईं। कई वरिष्ठ पत्रकरों ने बताया कि गाली गलौच करने की उनकी पुरानी आदत है।

इंदौर के एक वेटनरी को धमकाते हुए मेनका गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि "तेरा बाप फोर्थ क्लास का क्या काम करता है, माली है, चपरासी है, क्या है? जिसका जवाब दूसरी तरफ के व्यक्ति ने अध्यापक कह कर दिया, इसके बाद मेनका गांधी ने व्यक्ति के उस संस्थान का नाम पूछा जहां से उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की है और नाम बताते ही मेनका गांधी ने कहा वो तो सबसे घटिया कॉलेज है हरामी।

यह सारी बातचीत कुत्तों से संबंधित मामलों को लेकर थी। किसी मामले में कुत्ते की टांग काटनी पढ़ी थी तो किसी में टांके खुलने पर वेटनरी को हारामी और हरामजादा बनाया गया। सारा देश मेनका गांधी को कुत्तों का हिमायती मानता है और हिमायत के नाम पर ही वह सबसे गाली-गलौच भी कर रही हैं। पर सवाल है कि जिस चिकित्सक ने कुत्ते की टांग काटी और उसके पीछे का उचित कारण भी बताया उसके बरक्स मेनका गांधी क्या अर्हता रखती हैं जो किसी पेशेवर से उसके पेशे के बारे में हिसाब किताब लें और गाली गलौच करें। बताते चलें कि मेनका गांधी ने दिल्ली के कॉलेज से स्नातक किया और जेएनयू से जर्मन भाषा पढ़ी। इसमे जाहिर है वेटनरी या और कोई चिकित्सीय पढ़ाई का रिकार्ड नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं है कि घर परिवार में कोई इस पेशे मे था तो उनको इसकी जानकारी हो।

कुल जमा मेनका गांधी की अर्हता उनके नाम के पीछे "गांधी" लगा होना है और वो भी गांधी परिवार वाला गांधी। कुत्तों और जानवरों की तथाकथित मसीहा मेनका गांधी संजय गांधी ऐनिमल केयर सेंटर नाम से एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका केंद्र दिल्ली के राजा गार्डन में स्थित है। बेशक किसी कॉलेज में पढ़ने के कारण वेटनरी को मेनक गांधी घटिया बतातै हों पर सोचिए कि अगर वो घटिया कॉलेज है तो उसमे पढ़ने वाले की क्या गलती? ये तो खुद मेनका गांधी की जिम्मेवारी है कि कॉलेज अच्छा हो। और ऐसे कितने कॉलेज सुल्तानपुर में खुलवाए हैं मेनका गांधी ने? बहरहाल जिस संस्था को मेनका गांधी ने मरहूम संजय गांधी के नाम पर पैसे वसूलने के लिए खोला है उसका हाल सुनते चलिए।

तीन वर्ष पहले 35 वर्षीय सचिन और उनकी मित्र महिमा ने फरीदाबाद के एक घायल कबूतर को किसी ऐसे संस्थान को देने के लिए जब गूगल करना शुरू किया तो मेनका गांधी वाले एनजीओ का नाम सबसे ऊपर आया। बचपन से सुना था कि मेनका गांधी जानवरों की मसीहा है और सांसद होने के नाते महिमा ने माना कि वहाँ बेस्ट सुविधा मिलेगी। 50 कीमी से भी अधिक गाड़ी चला कर जब दोनों फरीदाबाद से राजा गार्डन एनजीओ केंद्र पर पहुंचे तो उनसे 100 रुपये की फीस कबूतर जमा करने के लिए ली गई। जब पूछा कि क्यू दूँ मैं 100 रुपये तो काउन्टर पर बैठी लड़की ने कहा कि ये जमा करके ही आप कबूतर को यहाँ देखभाल के लिए छोड़ सकते हैं वरना कहीं और ले जाओ। दोनों को मामला कुछ अजीब लगा, क्योंकि संजय गांधी ऐनिमल केयर सेंटर की साइट पर खुद मेनका गांधी ने बताया हुआ है कि उनको ग्रांट सरकार और विदेशों से मिलती है और यह पूर्ण रूप से डोनेशन पर चलने वाली सस्था है। बहरहाल भावुकता में डूबे महिमा और सचिन कबूतर को सड़क पर फेंक कर नहीं जा सकते थे तो दे दिए 100 रुपये। अंदर जा कर जब उन्होंने शेल्टर होम की हालत देखी तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसी देवी का साधना स्थल है जो दुनिया में जानवरों का मसीहा होने की पीपनी बजाती फिरती है। गाय से लेकर बकरियाँ, मोर, कुत्ते, बंदर, सब एक ही बुरे हाल में पड़े थे। भारी मन से बाहर जाने लगे तो एक कर्मी ने कहा कि कुछ अंडे की क्रेट और ब्रेड देते जाइए ताकि इन्हे हम खिला सकें ठीक से। कहाँ मिलेगी, तो ज्ञात हुआ यह दुकान भी सेंटर में ही खुली हुई है। सो अंडे भी दे दिए और ब्रेड भी। आज तीन

साल वेबसाइट पर बकरियाँ और बिल्लियों की फोटो वैसी ही सुंदर सुंदर है जैसे तीन साल पहले देख कर सचिन धोखा खा गया था। जब खुद मेनका गांधी दिन ब दिन बद्द से बद्दतर हो गईं हैं तो पूरी आशा है कि शेल्टर के हाल भी तीन साल मे और बद्दतर ही हुए होंगे।

इस हाई प्रोफाइल सांसद और तथाकथित पशु प्रेमी मेनका गांधी से इतर साकेत पीवीआर के बाहर प्रतिमा देवी नामक एक बूढ़ी महिला झुग्गी में रहती है। अकेले दम पर लगभग 400 कुत्तों को पालती है और सबको उसकी झुग्गी मे जगह देती है जिसमे खुद रहती है। जिस प्रतिमा देवी को संजय गांधी ऐनमल केयर सेंटर का निदेशक होना चाहिए उसके रहने के झुग्गी तक प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका है। क्या मेनका गांधी बता सकती हैं प्रतिमा के साथ 400 कुत्ते जो बेघर हुए उनके लिए कितने फोन कॉल किये और गालियां दी उन्होंने अधिकारियों को? या मेनका गांधी ने कितने रुपयों की आर्थिक या सरकारी मदद प्रतिमा देवी को दिलवाई? महिमा, और सचिन जैसे कुछ भले लोग प्रतिमा देवी को आर्थिक मदद देते हैं जिसे आप पूरी तरह से डोनेशन पर चलने वाला काम कह सकते हैं। चुनौती के साथ कह सकते हैं कि प्रतिमा देवी ने मेनका गांधी से कहीं अधिक जानवरों को बचाया है और सच्ची सेवा भी की है। पर पशु प्रेमी और संरक्षक का तमगा उसे मिलेगा जो अपने सर नेम का फूँ-फा करती पेशेवरों को गालियां देती हो न कि प्रतिमा जैसी सच्ची सेवाकर्ताओं को।